**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Revision Petition No. 1477/2023

Jagdish Prasad Sharma Son Of Late Shri Bhagwan, Aged About 66 Years, 31/182/12, 2Nd Floor, Varun Path, Mansarover Jaiupr 302020 (Rajasthan) Presently At C/o Rajendra 31/55/09 Varun Path, Mansarover Jaipur 302020

----Petitioner

Versus

Santosh Jaiman S/o Late Radheyshyam, Aged About 43 Years, 31/82/08 Varun Path, Mansarover Jaipur 302020 (Rajasthan)

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Hans Kumar Sharma, Adv.<br>Mr. Avinash Meghwal, Adv. |
| For Respondent(s) | : | None |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**31/01/2025**

याचिकाकर्ता जो कि विचारण न्यायालय में अभियुक्त है, की ओर से विद्वान सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 154/2013 जगदीश बनाम संतोष में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिसके माध्यम से प्रार्थी पक्ष का धारा 408 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अन्तरण आवेदन खारिज किया गया।

RAJASTHAN HIGH COURT



याची/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–10, जयपुर महानगर–द्वितीय में नियमित आपराधिक प्रकरण 160/2011 लंबित है जिसके संबंध में एक अन्तरण आवेदन न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा दिनांक 06.07.2023 को खारिज किया गया, तत्पश्चात अभियुक्त/याची की ओर से सेशन न्यायालय में भी अन्तरण आवेदन पेश किया जो उपरोक्तानुसार खारिज किया गया।

अयाची पक्ष की ओर से नोटिस तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त पक्ष का निवेदन है कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–10, जयपुर महानगर के समक्ष लंबित प्रकरण में तत्समय पदस्थापित पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित करते हुए उनके दस्तावेजों को प्रदर्शित कराये जाने से इंकार कर दिया, यह आदेश बयानों में नोट के रूप में वर्ष 2016 का होना बताया।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि किसी न्यायिक आदेश से यदि कोई पक्षकार व्यथित है तो ऊपरी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा पीठासीन अधिकारी का रवैया भेदभावपूर्ण रहा हो, यह तथ्य नहीं मानते हुए अन्तरण आवेदन खारिज किया है तथा विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा भी यह अभिमत प्रकट किया है कि वर्ष 2021 में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी से पूर्व के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध आरोप लगाये गये हैं, जिनका स्थानान्तरण हो चुका है। यह भी अभिमत प्रकट किया है कि वास्तव में अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रकरण विलम्बित किया जा रहा है,

जबकि माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यह प्रकरण टार्गेटेड प्रकरण के रूप में होकर शीघ्र विचारण अपेक्षित है।

विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से न्यायिक दृष्टान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ राज्य (2007) 3 एससीसी 62 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उचित मामलों में अन्तरण आवेदन स्वीकार किया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान मामले में वर्ष 2016 में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी का आदेश मनमानापूर्वक होना तथा न्याय की उम्मीद नहीं होना बताते हुए यह अन्तरण आवेदन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व सेशन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा दोनों ही आवेदनों के समय वर्ष 2016 में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी जिनसे न्याय की उम्मीद नहीं होना बताया गया, वे स्थानान्तरित हो चुके हैं। उसके पश्चात भी दो पीठासीन अधिकारियों का स्थानान्तरण हो चुका है तथा वर्तमान में नवीन पीठासीन अधिकारी वर्ष 2024 से पदस्थापित हैं। अतः ऐसी स्थिति में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से जो पूर्वागृह की शिकायत थी, वह स्वतः ही समाप्त हो गयी है तथा उसके आधार पर अन्तरण आवेदन स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि मामले को अभियुक्त पक्ष द्वारा जानबूझकर विलम्बित किया जा रहा है।

इस प्रकार विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व सेशन न्यायाधीश का आदेश पूर्णतः विधि–सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण को यथोचित प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निस्तारण के प्रयास करें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /129